

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक **533** / एफ-7-163 / 31 / एस-2 / 2021,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक **07** / 02 / 2022

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- मुंगेली जिले के विकासखण्ड-लोरमी अंतर्गत मनियारी (खुड़िया) जलाशय का सौंदर्यीकरण वाटर स्पोर्ट सेन्टर, पार्क, पिकनिक स्पोर्ट का निर्माण, रेस्ट हाउस/निरीक्षण गृह का उन्नयन तथा एप्रोच सी.सी. रोड का निर्माण एवं रेलिंग के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-1223 / बो.प्र. / A.A. / T.S. / 2021 / 8697, दिनांक 18.10.2021.

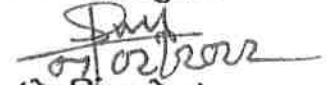
—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा मुंगेली जिले के विकासखण्ड-लोरमी अंतर्गत मनियारी (खुड़िया) जलाशय का सौंदर्यीकरण वाटर स्पोर्ट सेन्टर, पार्क, पिकनिक स्पोर्ट का निर्माण, रेस्ट हाउस/निरीक्षण गृह का उन्नयन तथा एप्रोच सी.सी. रोड का निर्माण एवं रेलिंग के कार्य हेतु रु.277.60 लाख (रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

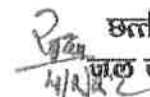
2. योजना अंतर्गत जलाशय सौन्दर्यीकरण, वाटर स्पोर्ट सेंटर, पार्क, पिकनिक स्पाट के निर्माण के साथ मुख्य बांध पर Moorum Topping, रेस्ट हाउस की सुरक्षा हेतु चारों ओर बाउण्ड्रीवाल, विद्युतीकरण व्यवस्था, Retaining wall, View point, वेस्ट वियर के निकट कैंटीन का निर्माण तथा बांध, वेस्ट वियर एवं निरीक्षण गृह तक सुगमता पूर्वक पहुंचने के लिए रेलिंग सहित कांक्रीट सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखशीर्ष- 4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, (11)-मनियारी जलाशय, (800) अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (2884) नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 20.12.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से .

तथा आदेशानुसार


(प्रेमसिंह घरेब्र)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

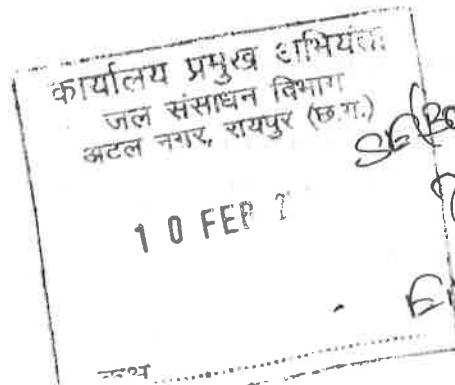
पृ.क्र. **534** / एफ-7-163 / 31 / एस-2 / 2021,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 07/02/2022

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर।
14. कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-मुंगेली।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।



[Signature]
07/02/2022
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग